जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर **दिनांक – 09.07.2024**

"ऑपरेशन स्माईल" अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा गुमशुदा दो बच्चो को सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही –

दिनांक 09.07.2024 को थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम किशनपुर कुंडा में दो बच्चो के अकेले घूमते हुए पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बच्चो को सकुशल थाने पर लाया गया । बरामद दोनो बच्चो के संबंध में आसपास के थानों से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 30.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गई कि वह अपने दो बच्चो (12 वर्ष व 05 वर्ष) के साथ गांव में ही एक शादी समारोह में गई थी जहां से उसके दोनो बच्चे बिना बताये कहीं चले गए । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 226/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा की जा रही है ।

बरामदगी –

दो बच्चे (12 वर्ष व 05 वर्ष)

पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2.म0उ0नि0 उपासना थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3.हे0का0 702 अरूण कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4.का0 165 पंकज थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर दिनांक 09.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों 1.इमरान पुत्र गफ्फार निवासी इरशाद कालोनी बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 2.सलीम पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जमालुद्दीन निवासी मौहल्ला मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.इमरान पुत्र गफ्फार निवासी इरशाद कालोनी बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.सलीम पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जमालुद्दीन निवासी मौहल्ला मुन्नालाल कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 गोपाल सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
3.मुख्य आरक्षी 590 प्रशान्त कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4.का0 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
5.का0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना रेहड **दिनांक- 09.07.2024**

थाना रेहड पुलिस ने मु0अ0सं0 67/24 धारा 147/148/149/452/323/308/506 भादवि में वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2024 को वादिनी ने थाना रेहड पर तहरीर दी थाना रेहड क्षेत्र के ग्राम जस्सूजोत निवासी 1.जयप्रकाश, 2.दीपक व 3.गजराम पुत्रगण मलखान सहित नामित कुल 20 अभियुक्तगण द्वारा लाठी-डन्डों, फावडा आदि से वादिनी व वादिनी के परिजनों के साथ मारपीट की गई जिससे वादिनी का पति व बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 67/24 धारा 147/148/149/452/323/308/506 भादवि बनाम जयप्रकाश,दीपक व गजराम उपरोक्त सहित नामित कुल 20 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.जयप्रकाश, 2.दीपक व 3.गजराम पुत्रगण मलखान निवासी ग्राम जस्सूजोत थाना रेहड जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.जयप्रकाश पुत्र मलखान निवासी ग्राम जस्सूजोत थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2. दीपक पुत्र मलखान निवासी ग्राम जस्सूजोत थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3. गजराम पुत्र मलखान निवासी ग्राम जस्सूजोत थाना रेहड जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री भीम सिंह थाना रेहड जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री रजत चौधरी थाना रेहड जनपद बिजनौर।

3.का0 1642 राजकुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर **दिनांक – 09.07.2024**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा 02 क्विंटल 20 किग्रा गौवंशीय मांस, परिवहन में प्रयुक्त वाहन व पशु कटान के उपकरण किये गए बरामद, घटना में वांछित तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व पशु कटान/गोकशी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा गोवध आदि घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इनायतपुर के जंगल में एक इनोवा गाडी (DL3CBD-2866) से 02 क्विंटल 20 किग्रा गौवंशीय मांस व पशु काटने के उपकरण बरामद किये गए। गाडी चालक व अन्य लोग मौके से फरार हो गये। इस संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 138/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र अमीचन्द, 2.सचिन पुत्र मानसिह व 3.ब्रजपाल पुत्र घनश्याम समस्त निवासीगम ग्राम इनायतपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनो साथी दो बैलो को ग्राम इनायतपुर के जंगल में लेकर गए जहां पर पहले से मौजूद मुस्तफा पुत्र नन्हे निवासी ग्राम गुलडिया थाना मुढापांडे जनपद मुरादाबाद अपने साथियो के साथ मौजूद था, उन्ही के द्वारा ही उन दो बैलो को काटा गया।

अभियोग मे अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.राहुल पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम इनायतपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

2.सचिन पुत्र मानसिह निवासी ग्राम इनायतपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

3. ब्रजपाल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम इनायतपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

घटना से संबंधित बरामदगी –

1.दो क्विंटल बीस किग्रा0 गौवंशीय मांस

2.पशु कटान के उपकरण (02 छोटी कुल्हाडी, 05 चापड/छुरी, 03 सूजा, एक धार लगाने का पत्थर)

3.दो काले रंग की पन्नी (तिरपाल)

4.परिवहन में प्रयुक्त इनोवा गाडी रजि0 नं0 DL3CBD-2866

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2.मुख्य आरक्षी 648 दीपक कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

3.मुख्य आरक्षी 159 उमेश कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर

4.कां0 2454 अरविन्द थाना बढापुर जनपद बिजनौर

5.कां0 2257 पीयूष थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक- 09.07.2024**

थाना चांदपुर पुलिस/सर्विलांस टीम ने पच्चीस हजार रूपये के पुरस्कार घोषित शातिर चोर को चोरी की बाइक, आभूषण व अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस / सर्विलांस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम नाईपुरा से आगे नहर के पुल के पास से अभियुक्त नफीस पुत्र हिकमत शाह निवासी मौ0 शिवद्वारा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, चोरी की एक मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट UP20N 0562 (सही रजि0 नं0 UP20S-1485 संबंधित मु0अ0सं0 344/24 धारा 303(2) बीएनएस0 थाना चांदपुर) व पीली धातु की एक लौंग एवं सफेद धातु के दो सिक्के व एक जोडी पायल (संबंधित मु0अ0सं0 59/2024 धारा 457/380 भादवि) बरामद की गई।

अभियुक्त से बरामद तमन्चे व चोरी की बाइक के आधार पर मु0अ0सं0 344/24 उपरोक्त में धारा 317(2)/318(4) बीएनएस0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई तथा बरामद किये गए आभूषण के आधार पर मु0अ0सं0 59/2024 उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई।

अभियुक्त नफीस उपरोक्त एक शातिर किस्म का चोर है जो थाना चांदपुर पर पंजीकृत चोरी के उपरोक्त 02 अभियोगो सहित कुल 06 अभियोगो में वांछित अपराधी था। इसके अलावा अभियुक्त नफीस उपरोक्त के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी/गैंगस्टर सहित एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा इस पर 25,000/- रूपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त नफीस ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने अन्य दो साथी नदीम व ताहिर के साथ मिलकर चांदपुर क्षेत्र में चोरी/नकबजनी व बाइक चोरी करते है तथा इन चोरियों में मिले माल/नकदी को आपस में बांट लेते है। कुछ समय पहले हम तीनो ने मिलकर चांदपुर क्षेत्र के बास्टा व धनौरा रोड पर कई चोरियां की थी जिसमे नदीम व ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नदीम व ताहिर को जेल से रिहा कराने के लिये पैसो की जरूरत थी तो मै कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन के पास से मेरे द्वारा चोरी की

गई एक बाइक, जिसपर मैने एक फर्जी नम्बर प्लेट लगा ली थी तथा इसी साल फरवरी के महीने में मौहल्ला शाहचंदन चांदपुर में एक बन्द मकान में की गई चोरी से मिले आभूषण (सोने की एक लौंग व चांदी के दो सिक्के व एक जोडी पायल) को बेचने की फिराक मे था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नफीस पुत्र हिकमत शाह निवासी मौ0 शिव द्वारा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

बरामदगी विवरण-

1.फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई चोरी की एक बाइक।

2.एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.चोरी किये गए जेवरात (पीली धातु की एक लौंग एवं सफेद धातु के दो सिक्के व एक जोडी पाजेब)

अभियुक्त नफीस उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 – 880/23 धारा – 380/457/411 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 - 901/23 धारा – 380,457/411 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
3. मु0अ0सं0- 59/24 धारा – 380/457/411 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
4. मु0अ0सं0- 80/24 धारा – 380/457/411 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
5. मु0अ0सं0 85/24 धारा – 380/457/411 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर
6. मु0अ0सं0 344/24 धारा – 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस0 व 3/25 A act थाना चांदपुर
7. मु0अ0सं0 – 281/22 धारा – 328/379/411भादवि0 थाना अफजलगढ बिजनौर
8. मु0अ0सं0 – 311/22 धारा – 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अफजलगढ बिजनौर
9. मु0अ0सं0 – 219/21 धारा – 379 भादवि थाना कोतवाली देहात बिजनौर
10. मु0अ0सं0 – 253/18 धारा – 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात बिजनौर
11. मु0अ0सं0 – 368/21 धारा – 380/457/411 भादवि थाना नगीना बिजनौर
12. मु0अ0सं0 – 388/21 धारा – 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना बिजनौर
13. मु0अ0सं0 – 389/21 धारा – 4/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार बैसला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिह प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. आरक्षी मोनू सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर।
6. हे0कां0 494 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. कां0 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8. का0 2035 असलम खान थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
9. का0 1191 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनांक- 09.07.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय कुमार पुत्र मलकित सिंह निवासी ग्राम मंधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 20 ली0 अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 234/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम अभियुक्त अजय कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजय कुमार पुत्र मलकित सिंह निवासी ग्राम मंधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

20 ली0 अवैध कच्ची शराब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 217/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 234/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. आरक्षी 718 सचिन चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी 418 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर **दिनांक – 09.07.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अवैध रुप से सट्टा लगा रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एंव अवैध रुप से जुआ/सट्टा आदि मे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे थाना हल्दौर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रुप से बाजी लगाकर सट्टा खेल रहे अभियुक्त अनिल उर्फ सावन उर्फ पैतरा पुत्र भोपाल सिंह निवासी कासमपुर लेखराज थाना नहटौर जनपद बिजनौर को हार–जीत की बाजी मे लगाए गए 1130 /- रुपये की नगदी आदि सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 204/24 धारा 13 जी एक्ट बनाम अनिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनिल उर्फ सावन उर्फ पैतरा पुत्र भोपाल सिंह निवासी कासमपुर लेखराज थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1130 /- रुपये की नगदी, कॉपी, पैन, सट्टा पर्ची आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.म0उ0नि0 श्रीमती अन्नु थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.कां0 142 मुनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.कां0 2561 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 09.07.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 272/2024 धारा 323/308/504/506/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.05.2024 को वादी मौ0 शाकिर पुत्र मौ0 सद्दीक निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों 1.अकरम पुत्र स्व0 कासिम 2.फरमान पुत्र अकरम 3.शमशीद पुत्र तौकीर समस्त निवासीगण स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी-डन्डों से मारपीट की गयी, जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 272/2024 धारा 323/308/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने तथा चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अकरम पुत्र स्व0 कासिम निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अकरम पुत्र स्व0 कासिम निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जुगेन्द्र तेवितया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढ़ापुर **दिनांक- 09.07.2024**

थाना बढ़ापुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.07.2024 को थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अमर सिंह पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर मिटठे उर्फ ढेल्ला थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमर सिंह पुत्र मूला सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर मिटठे उर्फ ढेल्ला थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2.म0कां0 437 मोनिका राठी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3.का0 165 पंकज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.मुख्य आरक्षी 812 सुमित पंवार थाना बढापुर जनपद बिजनौर